महाविद्यालय कर्मचारियों की आचरण संहिता

1. महाविद्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के पालनार्थ आचरण करेंगे ।
2. महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ पूर्ण रूप से संनिश्ठ एवं कर्तव्य–परायण रहें ।
3. ऐसा कोई कार्य नही करें जो कि उनके लिए अशोभनीय हो ।
4. अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए शिष्टाचार से कार्य करें ।
5. महाविद्यालय में अनुशासन पूर्वक कार्य एवं शालीन व्यवहार करें ।
6. कार्य स्थल में महिला/छात्रा के साथ यौन उत्पीडन दंडनीय अपराध है ।
7. महाविद्यालय में शालीन वेशभूषा का प्रयोग करें ।
8. शासकीय संपत्ति का व्यक्तिगत उपयोग वर्जित है ।
9. महाविद्यालय परिसर में मादक पदार्थो का सेवन न करें ।
10. महाविद्यालय परिसर में असमाजिक एवं अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न हों ।
11. महाविद्यालय परिसर में कार्यालयीन समय में उपस्थित रहें तथा दिए गए कार्यो को समय सीमा में पूर्ण करें ।
12. महाविद्यालय के प्राध्यापक छात्रों के बौद्धिक तार्किक एवं व्यवहारिक सोच के विकास को प्रोत्साहित करें ।
13. महाविद्यालय के वातावरण को सकारात्मक एवं समावेशी बनायें ।
14. महाविद्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी सहयोगात्मक भावना से तथा छात्र हित में कार्य करें ।

विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता

सामान्य नियम–

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।

1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय व्यवहार का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।

5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।

6.महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।

7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दिवालों को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैला कर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नही लेगा ।

9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा ।

उपस्थिति एवं अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी/ एन. एस.एस. में भी लागू होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा ।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाईयों के लिए वह प्राध्यापकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांति पूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़ फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जायेगा ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम खारिज कर दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे ।

परीक्षा संबंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं एवं प्री फाइनल में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।

अनुशासनहीनता के लिये वि.वि. अधिनियम में दण्ड का प्रावधान

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्र. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य सक्षम है। अनुशासनहीनता के लिये उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान हैः– (1) निलंबन (2) निष्कासन (3) वि.वि. परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना (4) रेस्टीगेशन